//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 105/2020

उनवान

मिट्ठु पुत्र नाथू जाति गुर्जर नि0 ग्राम दिलवाडी, नसीराबाद
–– अपीलार्थी :– जरिये अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

1. लाली पुत्री हजारी पत्नी हरचन्दा जाति गुर्जर निवासी ग्राम दिलवाडी, नसीराबाद
2. सरपंच ग्राम पंचायत दिलवाडा, प0स0 श्रीनगर, नसीराबाद
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

––रेस्पोन्डेंटस :– 1 व 2 अनुपस्थित
3 जरियें राज0 पैरोकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0 भ. रा0 अधि0 1956 बनाराजगी विरूद्व नामान्तरकरण सरपंच ग्राम पंचायत दिलवाडा, नसीराबाद नामान्तरकरण संख्या 68 दिनांक 06.06.2000 ग्राम दिलवाडी तहसील नसीराबाद के विरूद्व

–: आदेश :– दिनांक :– 19.1.21

अधिवक्ता अपीलांट ने उक्त अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडी, तहसील नसीराबाद के वंर्किग खसरा नम्बर 694 रकबा 2–18–0 व 695 रकबा 9–5–10 की आराजी अपीलांट की क्रयशुदा है। उक्त आराजी अपीलांट द्वारा जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.05.1999 को क्रय का आराजी मुतनाजा का कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। क्रय दिनांक से अपीलांट व उसके परिवारजन उक्त आराजी पर काबिज काश्त चलें आ रहे है। ग्राम दिलवाडी के वंर्किग खसरा नम्बर 694 रकबा 2–18–0 व 695 रकबा 9–5–10 की आराजी छोटू पि0 हमीरा व हजारी पि0 छोगा के नाम खातेदारी दर्ज थी। हजारी के फौत होने के बाद उसका 1/2 हिस्सा भंवरलाल, मंगला, लाली पि0 हजारी व हंगामी पत्नी हजारी के नाम जरियें विरासत दर्ज हुआ। हंगामी पत्नी हजारी की भी मृत्यु होने से आराजी मुतनाजा पर लाली पुत्री हजारी का 1/6 हिस्सा निहित था। लाली पुत्री हजारी पत्नी हरचन्दा ने उक्त आराजी का मुख्तयारनामा दिनांक 15.04.1999 को संग्राम पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी ग्राम दिलवाडी के पक्ष में किया। . लाली पुत्री हजारी पत्नी हरचन्दा के मुख्त्यारनामा धारक संग्राम पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी ग्राम दिलवाडी ने उक्त आराजी जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र अपीलांट को दिनांक 13.05.1999 को बैचान कर कब्जा व दखल सौप दिया। अपीलांट के पंजीकृत विक्रय की पालना में हल्का पटवारी दिलवाडी ने लाली पुत्री हजारी के हिस्से की आराजी अपीलांट के नाम नामान्तकरण संख्या 68 विधिवत रूप से दर्ज किया एवं भू अभिलेख निरीक्षक ने भी उक्त नामान्तकरण की जॉच कर सही पाया गया की टिप्पणी अंकित की है। दिनांक 13.03.2000 को उक्त नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ग्राम पंचायत दिलवाडा के समक्ष पेश किया जिस पर ग्राम पंचायत दिलवाडा ने अंकित किया कि ''मुख्त्यारनामा द्वारा विक्रय पत्र कराया गया है किन्तु कारणवश इ

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:49:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

[illegible] नहीं दिया [illegible] आराजी [illegible] में यह अंकित नहीं किया है कि किस कारण यह निर्णय नहीं दिया [illegible] 06.06.2000 को ग्राम पंचायत दिलवाड़ा द्वारा उक्त नामान्तकरण निरस्त करते हुये टिप्पणी [illegible] अधिकार पत्र से हुये विक्रय पत्र से पंचायत सदन सहमत नहीं है। अतः सर्व सम्मति से नामान्तकरण अस्वीकार किया जाता है। नामान्तकरण संख्या 68 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 06.06.2000 को उक्त नामान्तकरण स्वीकार लिख कर तत्कालीन सरपंच महोदय द्वारा हस्ताक्षर भी किये गये। किन्तु बाद में उक्त स्वीकार के अंकन को काटकर नामान्तकरण निरस्त करने का नोट अंकित किया गया। ग्राम पंचायत दिलवाड़ा द्वारा उक्त नामान्तकरण अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर देते हुये अपने अधिकारों से परे जाते हुये निरस्त किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को उक्त नामान्तकरण निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं था। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त नामान्तकरण निरस्त कर भयंकर भूल की है। नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 06.06.2000 के विरूद्ध उक्त अपील पेश कर अपीलांट का माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त नामान्तकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर आराजी मुतनाजा का नामान्तकरण अपीलांट के नाम दर्ज करने हेतु आदेश पारित करावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 अनुपस्थित रहे। रा0अ0 पैरोकार ने जाहिर किया कि अपीलांट अपनी अपील स्वयं सिद्ध करे।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाट व रा0अ0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। वर्किंग खसरा नम्बर 694 रकबा 2-18-0 व 696 रकबा 9-5-10 की आराजी छोटू पि0 हमीरा व हजारी पि0 छोगा के नाम खातेदारी दर्ज थी। हजारी के फौत होने के बाद उसका 1/2 हिस्सा भवरलाल, मंगला, लाली पि0 हजारी व हगामी पत्नी हजारी के नाम जरिये विरासत दर्ज हुआ। हगामी पत्नी हजारी की भी मृत्यु होने से आराजी मुतनाजा पर लाली पुत्री हजारी का 1/6 हिस्सा निहित था। लाली ने अपने हिस्से का मुख्तयारनामा अपने चाचा संग्राम पुत्र बालू जाति गुर्जर नि0 दिलवाडी को नियुक्त किया। उक्त मुख्तयारनामा मे आराजी विक्रय करने व अन्य सभी अधिकार संग्राम पुत्र बालू को दिये गये है। उक्त मुख्तयारनामे के आधार पर संग्राम ने आराजी मुतनाजा मे लाली का हिस्सा जरिये पजीकृत विक्रय पत्र दिनाक 13.5.99 को अपीलाट को बैचान कर दिया। उक्त विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय मे चुनौती नही दी गयी है। साथ ही विक्रय पत्र पजीकृत होने से उसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। उक्त विक्रय पत्र की पालना मे अपीलाट के पक्ष मे आराजी मुतनाजा का नामान्तकरण सख्या 68 पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी जॉच का अंकन किया गया। ग्राम पंचायत दिलवाडा ने उक्त नामान्तकरण स्वीकार अंकित कर बाद मे उक्त अंकन को काटकर नामान्तकरण आगामी बैठक मे पेश करने का निर्णय लिया गया। दिनाक 06.06.2000 को ग्राम पचायत दिलवाडा द्वारा उक्त नामान्तकरण निरस्त करते हुये टिप्पणी की कि अधिकार पत्र से हुये विक्रय पत्र से पचायत सदन सहमत नही है। अत सर्व सम्मति से नामान्तकरण अस्वीकार किया जाता है। नामान्तकरण सख्या 68 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दिनाक 06.06.2000 को उक्त नामान्तकरण स्वीकार लिख कर तत्कालीन सरपंच महोदय द्वारा हस्ताक्षर भी किये गये। किन्तु बाद मे उक्त स्वीकार के अंकन को काटकर नामान्तकरण निरस्त करने का नोट अंकित किया गया। ग्राम पंचायत दिलवाडा द्वारा उक्त नामान्तकरण अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर देते हुये अपने अधिकारो से परे जाते हुये निरस्त किया है। लाली ने प[illegible] आराजी अपीलाट को विक्रय कर दी है। पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त नामान्तकरण मे कोई प्रतिकूल टिप्पणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta.
Date: 2021.09.24 13:49:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नही की है। विक्रेता अथवा खातेदार द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आपत्ति भी पेश की गयी। इसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तकरण गैर कानूनी तरीके से निरस्त कर दिया है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने प्रकरण में उपस्थित होकर कोई खण्डन नही किया है।

अतः अपील अपीलांट **"स्वीकार"** की जाती है। नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 06.06.2000 को सरपंच जरियें ग्राम पंचायत दिलवाडा द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जा कर तहसीलदार नसीराबाद को निर्देशित किया जाता है कि गाम दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 824 रकबा 1.58 व 825 रकबा 0.23 में लाली पुत्री हजारी के 1/6 हिस्से की अपीलांट द्वारा जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की गयी आराजी का नियमानुसार अपीलांट के नाम करने हेतु नवीन सिरे से नामान्तकरण की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:49:15 IST
Reason: SelfAttested